कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 23 / 2026

आकाश कुमार निवासी गॉव व पोस्ट डहरा, तहसील कुम्हेर हाल जिला डीग पिन कोड 321026 मो.नं. 8191991085

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 29.04.2026

अपीलार्थी आकाश कुमार निवासी गॉव व पोस्ट डहरा, तहसील कुम्हेर हाल जिला डीग राज0 द्वारा सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील सं0 060061606891793 इस आश्य की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 2026 / 259 दिनांक 17.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक एलआर / 2026 / 2604 दिनांक 23.04.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई है, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एलआर / 2026 / 2604 दिनांक 23.04.2026 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक क्रमांक एलआर / 2026 / 2604 दिनांक 23.04.2026 द्वारा वांछित सूचना संबन्धित प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि– ''... खसरा नं. 1224, ग्राम गोलपुरा भरतपुर की ऑनलाईन जमाबंदी में बिना किसी अधिग्रहण आदेश के यूआईटी में दर्ज कर दी गई है, जबकि मेरे पास वैध रजिस्ट्री व पुरानी जमाबन्दी है। अतः रिकार्ड सुधार किया जाए।....'' उक्त सूचना के सन्दर्भ तहसीलदार भरतपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बरों पर की गई 90 ए की कार्यवाही से सम्बन्धित रिकार्ड की प्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रस्तुत कर निम्नांचाही गईलोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर